फा. सं. 11013/7/2016-स्था.क-।।।
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-।।। डेस्क

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 01 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : "लैंगिक-उत्पीड़न इलैक्ट्रॉनिक-बॉक्स ('शी-बॉक्स')" नामक ऑन-लाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए 24 जुलाई, 2017 को लैंगिक-उत्पीड़न इलैक्ट्रॉनिक-बॉक्स ('शी-बॉक्स') नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। "शी-बॉक्स" कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों और संस्थाओं इत्यादि) के किसी कार्यालय में कार्यरत अथवा किसी कार्यालय में आने वाली महिलाओं को एक मंच मुहैया करवाने के संबंध में एक पहल है।

2. "शी-बॉक्स" में शिकायत डाल दिए जाने पर इस शिकायत की जांच करने की अधिकारिता वाले संबंधित मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय इत्यादि की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को सीधे भेज दिया जाएगा। 'शी-बॅक्स' आईसीसी द्वारा संचालित की जाने वाली जांच की प्रगति की निगरानी करने के लिए शिकायतकर्ता और नोडल प्रशासनिक प्राधिकारी दोनों को एक अवसर भी मुहैया करवाता है। नीचे दिए गए लिंक पर "शी-बॉक्स" पोर्टल से संपर्क किया जा सकता है:

http://www.shebox.nic.in/

3. 'शी-बॉक्स' की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i). 'शी-बॉक्स' कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। 'शी-बॉक्स' के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए अपेक्षित कदमों को लिंक http://www.shebox.nic.in/assets/site/downloads/manual.pdf से डाऊनलोड किया जा सकता है।

(ii). केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों और संस्थाओं इत्यादि) के किसी भी कार्यालय में कार्यरत अथवा वहां आने वाली कोई भी महिला इस 'शी-बॉक्स' के माध्यम से कार्यस्थल पर लैंगिक-उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकती है।

(iii). 'शी-बॉक्स' में शिकायत डाल दिए जाने पर इस शिकायत की जांच करने की अधिकारिता वाले संबंधित मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय इत्यादि की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को सीधे भेज दिया जाएगा। आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत यथानिर्धारित कार्रवाई करेगी और 'प्रशासनिक लॉगइन' के माध्यम से शिकायत की स्थिति को अद्यतन करेगी।

(iv). शिकायत की स्थिति को 'शी-बॉक्स' के भीतर ही 'अपनी शिकायत की स्थिति देखें' टैब को दबा कर किसी भी समय देखा जा सकता है।

4. 'शी-बॉक्स' में पंजीकृत शिकायत में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना का मात्र संक्षिप्त विवरण ही होता है। आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को शिकायतकर्ता से सभी संगत साक्ष्यों (दस्तावेजी या अन्यथा) सहित विस्तृतरूप में शिकायत का विवरण प्राप्त करने के लिए उसे बुलाकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जुलाई, 2015 के का.ज्ञा.सं. 11013/2/2014-स्था.(क-III) के साथ पठित कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत यथा-निर्धारित किए गए अनुसार जांच शुरू करना आवश्यक है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ध्यान में लाएं। मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने-अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों को सलाह दें कि वे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ध्यान में 'शी-बॉक्स' की विषयवस्तु को लाएं।

नितिन

(नितिन गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23040264

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
14. सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी
15. एडीजी (एम ऐंड सी), पत्र सूचना कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
16. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को (इस मंत्रालय के वेबसाइट पर कार्यालय ज्ञापन एवं आदेश → स्थापना → सीसीएस (आचरण नियमावली) एवं नया क्या शीर्ष के तहत इसे अपलोड करने के लिए)।

नितिन

(नितिन गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23040264